मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

:: **संशोधित आदेश** ::

भोपाल दिनांक 18 अप्रैल, 2022

क्रमांक एफ 19–73/2021/1/4 :: राज्य शासन द्वारा ड्रोन नीति में संशोधन एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी का सुशासन एवं शासकीय सेवाओं में नागरिकों को त्वरित सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपाय सुझाने के लिए समसंख्यक आदेश दिनांक 23/12/2021 को समिति का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढावा देने एवं ड्रोन्स सेवायें प्रदान करने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, को नोडल विभाग तथा मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (MPSeDC) को नोडल एजेन्सी घोषित किया जाता है।

2/ ड्रोन सेवाओं के सम्पादन हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (MPSeDC) द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जायेगा :–

1– ड्रोन डेटा के मानकों और प्रोटोकॉल को निर्धारित करना।
2– ड्रोन स्थानिक डेटा रिपोजिटरी बनाना।
3– तकनीकी विशिष्टताओं एवं संभावित सेवाओं के साथ ड्रोन सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध करना।
4– शासन में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों/विभागों में ड्रोन के संभावित उपयोग की पहचान करने के लिए विभागों को तकनीकी सलाह देना।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

GIS - Head

(मेहताब सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 19–73/2021/1/4 भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि :–

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित प्रस्तुत।
5. अवर सचिव (स्थापना), मध्यप्रदेश शासन की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश को सामान्य प्रशासन की वेबसाइड मे अपलोड करने का कष्ट करें।
6. उप संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

समय-सीमा

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक एफ 6-1/2022/41-2 भोपाल, दिनांक 10 ~~फरवरी~~ मार्च 2022

प्रति,

1 अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
मंत्रालय भोपाल।

2 कलेक्टर,
समस्त जिला, म.प्र.।

विषयः- ड्रोन नीति में संशोधन एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी का सुशासन एवं शासकीय सेवाओं में नागरिको को त्वरित सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपाय सुझाने के लिए गठित टास्क फोर्स की की अनुशंसाओं पर विचार विमर्श हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।

संदर्भः- विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 10-2-2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत ड्रोन नीति में संशोधन एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी का सुशासन एवं शासकीय सेवाओं में नागरिको को त्वरित सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपाय सुझाने के लिए गठित टास्क फोर्स की अनुशंसाओं पर विचार विर्मश हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10-2-2022 को बैठक आयोजित की गयी।

बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है। कृपया बैठक में आपके विभाग से संबंधित लिये गये निर्णय पर निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही कर विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि प्रगति से मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया जा सकें।

संलग्नःउपरोक्तानुसार .

10/3/2022

(चन्द्रकान्त कश्यप)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक एफ 6-1/2022/41-2 भोपाल, दिनांक 10 ~~फरवरी~~ मार्च 2022

प्रतिलिपि:-

1 उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल

2 निज सचिव, प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भोपाल,

3 प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि कार्यवाही विवरण में म0प्र0 राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगमे को सौपे गये कार्य की समीक्षा में 30 अप्रेल 2022 के पश्चात् मुख्य सचिव महोदय द्वारा की जावेगी। अतः इस तिथि के पूर्व प्रतिवेदन कृपया विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10/3/2022

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

राज्य में सुशासन एवं नागरिक सेवाओं के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग के प्रयास हेतु गठित राज्य स्तीय टास्कफोर्स की अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10 फरवरी, 2022 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।

दिनाक 10 फरवरी, 2022 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में प्रदेश मे सुशासन एवं नागरिक सेवाओं के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग के प्रयास हेतु गठित राज्य स्तरीय टास्कफोर्स की अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श हेतु बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का उपस्थिति पत्रक **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

बैठक में प्रदेश में सुशासन एवं नागरिक सेवाओं के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग के प्रयास हेतु प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय टास्कफोर्स की अनुशंसाओं से संबंधित प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (MPSeDC) द्वारा प्रदेश में ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए संभावित सेवाओं एवं विभागों के बारे में अवगत कराया गया। MPSeDC द्वारा प्रदेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किये जा रहे कार्यों एवं संबंधित विभागों की सेवाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी से भी अवगत कराया गया।

प्रस्तुतिकरण के अवलोकन उपरांत निम्नानुसार अनुशंसाएँ की गयी :-

1. शासन के समस्त विभागों द्वारा अपनी सेवाओं एवं गतिविधियों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार अधिक सटीक, किफायती, तीव्र और मितव्ययता के दृष्टिकोण के आधार पर विभागीय सेवाओं में संभावित सेवाओं का ड्रोन्स के प्रदाय करने के संबंध में चयन किया जाए।

(कार्यवाही - समस्त विभाग, समय सीमा - 30 जून, 2022)

2. MPSEDC द्वारा ड्रोन्स सेवा संबंधी पोर्टल का निर्माण कर ड्रोन्स सेवा प्रदाताओं को तकनीकी क्षमता अनुसार enlist किया जावे जिस पर ड्रोन्स सेवा प्रदाता अपना स्वपंजीकरण भी कर सकें। इस पोर्टल से समस्त विभागों को अवगत कराया जाये जिससे विभाग द्वारा इन सूचीबद्ध

सेवा प्रदाताओं को सीमित निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन कर ड्रोन्स की सेवायें प्राप्त की जा सकती है।

(कार्यवाही - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य समस्त विभाग, Online Portal की समय सीमा - 30 जून, 2022)

3. विभाग ड्रोन्स क्रय न करें बल्कि MPSEDC द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये सूचीबद्ध ड्रोन्स सेवा प्रदाताओं में से सीमित निविदा के माध्यम से ड्रोन सेवा प्रदाता का चयन विभागों की आवश्यकताओं के अनुरूप संबंधित विभाग द्वारा किया जाकर ड्रोन्स से प्राप्त की जाने वाली सेवाओं को लिये जाने की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य समस्त विभाग)

4. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) में ड्रोन्स के संचालन एवं ड्रोन्स टेक्नोलॉजी से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाये। प्रारम्भिक चरण में इस पाठ्यक्रम को चयनित ITI/ संस्थओं में प्रारम्भ किया जाये। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में ऑप्शनल विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट के प्रस्तुतिकरण में केन्द्रीय सहायता की घोषणा की गई है, उसका भी लाभ लिये जाने के प्रयास किये जाये।

(कार्यवाही - तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, समय सीमा - 30 जून, 2022)

5. ड्रोन्स तकनीक का उपयोग किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में किसानों को उर्वरक और कीटनाशक स्प्रे जैसी सेवाऐं प्रदान करने में किया जा सकता है। कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय उर्वरक और कीटनाशक स्प्रे जैसे कृषि क्षेत्र में ड्रोन सेवा प्रदाताओं का पैनल बना सकता है। राज्य में 3000 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर हैं, पैनल में शामिल ड्रोन सेवा प्रदाता इन केंद्रों के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार एसओपी का उपयोग कृषि क्षेत्र में ड्रोन सेवा प्रदाताओं के पैनल के लिए आधार के रूप में किया जा सकता है। इस हेतु विभाग स्थानीय स्तर पर मानव संसाधन को कृषि कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित करने का कार्य भी सेवा प्रदाता के माध्यम से कर सकता है।

(कार्यवाही - कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, समय सीमा - 30 जून, 2022)

6. कृषि के लिए ड्रोन खरीद और ड्रोन सेवा के लिए कृषि मशीनीकरण पर सबमिशन (SMAM) योजना के तहत 40% सब्सिडी का प्रावधान। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार इस राजसहायता का कार्यान्वयन किया जावेगा।

(कार्यवाही - कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, समय सीमा - 30 जून, 2022)

7. ड्रोन्स तकनीक के समन्वय हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राज्य शासन का नोडल विभाग होगा एवं विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (MPSeDC) को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी बनाया जाये। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन (Facilitation) का कार्य करेगी।

(कार्यवाही - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग, समय सीमा - 30 जून, 2022)

8. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (MPSeDC) में एक ड्रोन केंद्र की स्थापना की जावे।

(कार्यवाही - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, समय सीमा - 30 अप्रैल, 2022)

9. ड्रोन्स के माध्यम से संकलित स्थानिक डाटा (Geo-spatial data) को MPSEDC अंतर्गत एकजाई एवं सुरक्षित रूप से MPSSDI के अंतर्गत संधारित किया जाये।

(कार्यवाही - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आदेश की समय सीमा - 30 अप्रैल, 2022)

10. लोक निर्माण विभाग के सुझाव अनुसार निर्माण संबंधी विभागों की स्थानिक प्रसार की सभी बड़ी परियोजनाओं की सतत निगरानी, सर्वे, मापन, गुणवत्ता प्रबंधन और प्रगति की समीक्षा हेतु ड्रोन का उपयोग करने के लिए ठेकेदारों / सर्वेक्षकों / तीसरे पक्षों के लिए निविदा में सक्षम खंड (enabling clause) शामिल किया जावे।

(कार्यवाही – निर्माण परियोजनाओं से जुड़े समस्त विभाग)

11. गृह विभाग (एमपी पुलिस) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों को लागू करना सुनिश्चित करते हुए क्षमता का विकास करेगा। जिसमें रेड, येलो और ग्रीन जोन की पहचान और अस्थायी रेड जोन का सीमांकन, इन क्षेत्रों पर आंतरिक सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में जैमर एवं सुरक्षा उपकरणो की व्यवस्था तथा ड्रोन से सुरक्षा mechanism तैयार करना सुनिश्चित करेगा। MPSEDC द्वारा गृह विभाग को आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी सहयोग प्रदान (Facilitation) किया जायेगा।

(कार्यवाहो – गृह विभाग, समय सीमा – गृह विभाग द्वारा निर्धारित की जाये)

12. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रत्येक जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी (DeGS) को प्रति वर्ष रूपये 10 लाख की राशि ड्रोन में नवाचार एवं आपातकालीन स्थिति/ आपदा की स्थिति में उपयोग हेतु अनुमति दी जावे। ड्रोन में नवाचार हेतु जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी (DeGS) MPSEDC को प्रस्ताव भेजेंगे एवं स्वीकृति उपरांत कार्य संपादित कर सकेंगे। आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में कलेक्टर द्वारा स्वविवेक से ड्रोन के उपयोग हेतु भी इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

(कार्यवाही - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं समस्त जिला कलेक्टर, समय सीमा - 30 अप्रैल, 2022)

13. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से एक स्पष्टीकरण जारी करने की आवश्यकता है कि ड्रोन विनिर्माण / असेंबली के उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आईटी / आईटीईएस / ईएसडीएम नीति के तहत मान्यता प्राप्त है।

(कार्यवाही - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, समय-सीमा 31 मई, 2022)

14. ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ड्रोन्स के सॉफ्टवेयर, रिपेयरिंग, असेम्बलिंग, डाटा प्रोसेसिंग आदि सेवाओं को नवीन IT, ITeS & ESDM निवेश प्रोत्साहन नीति अंतर्गत शामिल किया जाये।

(कार्यवाही - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आदेश की समय सीमा - 30 जून, 2022)

15. मुख्य सचिव द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को निर्देशित किया गया कि भविष्य में ड्रोन की उपयोगिता के संबंध में यदि और अधिक तकनीकी दक्ष मानव संसाधनों की आवश्यकता हो तो इस संबंध में मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु MPSEDC द्वारा आवश्यक समन्वय सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, समय सीमा - 30 जून, 2022)

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

10/3/22

(अंजू पवन भदौरिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट-1

ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग के प्रयास हेतु गठित राज्य स्तीय टास्कफोर्स की अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक

दिनांक 10 फरवरी, 2022 का उपस्थिति पत्रक

क्र.	अधिकारी का नाम	पद	विभाग/ संस्था
1	श्री एस.एन. मिश्रा	अपर मुख्य सचिव	जल संसाधन विभाग
2	श्री आई.पी.सी. केसरी	अपर मुख्य सचिव	नर्मदा घाटी विकास विभाग
3	डॉ. राजेश राजौरा	अपर मुख्य सचिव	गृह विभाग
4	श्री अजीत केसरी	अपर मुख्य सचिव	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
5	श्री उमाकांत उमरांव	प्रमुख सचिव	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
6	श्री नीरज मंडलोई	प्रमुख सचिव	लोक निर्माण विभाग
7	श्री मनीष सिंह	प्रमुख सचिव	नगरीय विकास एवं आवास विभाग
8	श्री अमित राठौर	प्रमुख सचिव	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
9	श्री आकाश त्रिपाठी	प्रमुख सचिव	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
10	श्री एम.सेलवेन्द्रन	सचिव	मुख्यमंत्री कार्यालय
11	डॉ. सुदाम खाडे	सचिव	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
12	श्री संजय गोयल	प्रमुख आयुक्त राजस्व	राजस्व विभाग
13	श्रीमती पदमा प्रिया बालाकृष्णन	सचिव	वन विभाग
14	श्रीमती छवि भारद्वाज	अपर सचिव	मुख्यमंत्री कार्यालय
15	श्री नंदकुमारम	प्रबंध संचालक	म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हपमेंट कार्पोरेशन
16	श्री श्रीमन शुक्ला	आयुक्त	भू-अभिलेख
17	श्रीमती तन्वी सुन्दरीयाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
18	सुश्री आईपी आईरिन सिंथिया	संचालक, बजट	वित्त विभाग
19	श्री गौरव बनेल	अपर आयुक्त	नगरीय विकास एवं आवास

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

प्रदेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उयोग हेतु गठित टास्क फोर्स की अनुशंसाओं का मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में प्रस्तुतिकरण हेतु बैठक

दिनांक 10 फरवरी, 2022 का उपस्थिति पत्रक

क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	J.P. IRENE CYNTHIA	DIRECTOR BUDGET	FINANCE	[signature]
2	DR. RAJESH RAJORA	ACS Home	Home	[signature] 10/2/22
3	Akash Tripathi	P.S., Tech Edu	Tech Edu & Skill	[signature] 10.2.2022
4	Chhavi Bhardwaj	AS, CMO		[signature] 10/2
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				